सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः—2025 / 564 दर्ज तिथिः—08.07.2025

1. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार गुड़ामालानी

.....प्रार्थी

बनाम

1. गजेन्द्रसिंह पुत्र मोड़सिंह
2. गणपतसिंह पुत्र मोड़सिंह
3. टीकमसिंह उर्फ तनसिंह पुत्र मोड़सिंह
   जाति राजपूत निवासी पादरड़ी कला तहसील गुड़ामालानी

.....अप्रार्थी

उपस्थित
प्रार्थीः—प्रार्थीगण स्वयं।
अप्रार्थी अधिवक्ताः— श्री प्रागाराम बोगराज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—84, 86
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—04.05.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—84, 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि दिनांक 26.06.2025 को ग्रामीणजनों राजस्व ग्राम पादरड़ी कला ने तहसीलदार गुड़ामालानी से निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 304 रकबा 1.8858 है0 वाके ग्राम पादरड़ी कला से करीब 02 हरे पेडों को काटा जा रहा है। तहसीलदार, गुड़ामालानी द्वारा उक्त ग्रामीणजनों के निवेदन पर हल्का पटवारी सिंधासवा हरनियान से जाँच रिपोर्ट तलब की। हल्का पटवारी सिंधासवा हरनियान द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट दिनांक 26.06.2025 प्रस्तुत कर बताया कि अप्रार्थी द्वारा करीब 02 हरे पेड बिना अनुमति के काट दिये। इस सूचना पर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा उक्त हरे पेडों को जब्त कर कब्जे राज लिया। अन्त में प्रार्थी तहसीलदार, गुड़ामालानी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जब्तशुदा लकडियों को नीलाम किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 13:31:37 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये असालतन—वकालतन हाजिर न्यायालय हुये। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन किया गया किः—
   - कि अप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 304 पर कभी भी हरे वृक्षों की कटाई नहीं की गई। हल्का पटवारी द्वारा दुर्भावनावश खाली कागज पर अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर हरे वृक्ष काटे जाने के संबंध में गलत रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जो तहसीलदार द्वारा हाजा न्यायालय में शास्ती आरोपित किये जाने बाबत् गलत तरीके से पेश किया गया होने से काबिल—ए—खारिज है।
   - कि अप्रार्थीगण अपने खेत में जुताई से पूर्व सुखी बबूल की लकड़ियां एकत्रित कर रहे थे। जिसे हल्का पटवारी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध बिना वन विभाग को सूचित किये एकतरफा गलत मौका रिपोर्ट बनाकर पेश की गई होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त आवेदन पोषणीय नहीं होने से काबिल—ए—खारिज है।
   - कि अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का हरा वृक्ष नहीं काटा होने से उक्त आवेदन चलने योग्य नहीं है। साथ ही अप्रार्थीगण सदभावी काश्तकार हैं एवं अप्रार्थीगण वर्षा ऋतु में हमेशा पौधे लगाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में उक्त आवेदन काबिल—ए—खारिज है।

3. प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि जब्तशुदा लकडियों को नीलाम किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावे। दौराने बहस अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए उक्त आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. मैनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में मुताबिक पटवारी रिपोर्ट दिनांक 26.06.2025 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उखाडे गये हरे पेडों का विवरण निम्न प्रकार है—

खातेदार	खसरा/रकबा	हरे पेडों की संख्या	पेड की किस्म
गजेन्द्रसिंह पुत्र मोड़सिंह गणपतसिंह पुत्र मोड़सिंह टीकमसिंह उर्फ तनसिंह पुत्र मोड़सिंह जाति राजपूत	304	02	रोहिड़ा
कुल वृक्ष		02	—

5. किसी व्यक्ति द्वारा हरे पेडों को काटने के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के अध्याय—08 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 13:31:37 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारी अधिनियम—1955 के अध्याय—08 की धारा—83 का उद्धरण यहाँ प्रासंगिक है जो इस प्रकार है—

> ***83. Trees not removable except as provided***— *Notwithstanding anything to the contrary in any law custom or-contract no trees standing on occupied or unoccupied land shall be removable therefrom except as provided in section 84.*

6. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—83 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—84 के प्रावधानों के अतिरिक्त हरे पेडों के हटाये जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हरें पेडों को हटाये जाने के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—84 का उद्धरण यहाँ प्रासंगिक है जो इस प्रकार है—

> ***84. When and by whom trees may be removed***-
> *(1) Omitted.*
>
> *(2) A Khatedar tenant holding land below the ceiling area may remove trees standing on his holding for any purpose;*
>
> ***Provided that*** *no such tenant shall remove trees for purpose other than his bonafide or agricultural use except with the permission of such authority and subject to such terms and conditions as may be prescribed by the State Government.*
>
> *(3) A Gair Khatedar tenant may, with the previous permission of the Tehsildar, remove any trees standing on his holding for his own domestic or agricultural use.*
>
> *(4) A sub-tenant may, with the previous permission of the person from whom he holds, remove any trees standing on his holding for his own domestic or agricultural use.*
>
> *(5) A Khatedar tenant holding land in excess of the ceiling area desiring to remove any trees which vest in him or are in his possession may do so under a licence to be granted by the Sub-Divisional Officer.*
>
> *(6) Upon receipt of an application under sub-section (5), the Sub-Divisional Officer may after making such inquiry as may be necessary in the prescribed manner and taking in to consideration the prescribed matter, grant the requisite licence in the prescribed form on payment of the prescribed fee subject to such terms, restrictions, as may be prescribed.*
>
> *(7) Nothing in this section shall apply to the State Government or affect the right or power of the State Government to remove or cause to be removed or order the removal of any tree standing on any land entered in the name of the State in Revenue Records for any purpose.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 13:31:37 IST
Reason: SelfAttested

7. इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—84 की उपधारा—02 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कोई खातेदार काश्तकार अपने प्रमाणिक एवं कृषि कार्य हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही कोई वृक्ष हटा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—84 के प्रावधानों की प्रक्रिया का निर्धारण हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम—1955 के अध्याय—05 के तहत नियम—24EE लगायत 25 बनाये गये है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम—1955 के नियम 24जी व 24एच का उद्धरण प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार है—

> ***24G. Enquiry and disposal**. - (1) The Tehsildar shall in every case inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of an Inspector, Land Records. The Tehsildar or such Officer, as the case may be, shall clearly indicate in his inspection report (a) total area of holding of the applicant with khasra numbers; (b) number of trees standing on the holding; (c) number of trees sought to be removed; (d) justification for the removal of trees that may be permitted to be removed, and (e) specific reasons which necessitate removal of trees. The inspection report shall be submitted in Form C-I Part III.*
>
> *(2) Subject to the conditions laid down in these rules, the Tehsildar, shall, on receipt of such inspection report and after satisfying himself on the merits of the application that the number of trees sought to be removed is not excessive and is commensurate with the purpose for which removal is sought, grant the permission within 15 days of the receipt of the inspection report, but -*
> *(a) The Tehsildar shall permit the removal upto 15 trees subject to the ceiling limit of aforesaid proviso.*
>
> *(b) If the application is for the removal of more than 15 trees the Tehsildar shall forward the application to the Sub-Divisional Officer concerned alongwith the report. The Sub-Divisional Officer after satisfying himself and subject to the ceiling limits of aforesaid proviso grant or refuse the permission stating the reasons thereof.*
>
> *(3) The permission shall be valid for a period of 30 days from the date of the sanction, and can be extended for a further period not exceeding of 30 days.*
>
> ***Provided that** khatedar shall not be allowed to cut more than 10% of the trees standing on his holding in any calendar year.*
>
> तथा
>
> ***24H. Conditions for grant of permission**. - (1) Removal of any tree or class of trees may be granted in following cases: -*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 13:31:37 IST
Reason: SelfAttested

(i) If it will help any work of construction by and on behalf of the village community; or
(ii) If such removal is necessary for the extension of cultivation or other agricultural activities of the tenant; or
(iii) If it will mitigate any real existing grievance of the tenant; or
(iv) If the existing trees Eire dried up and their removal is in the interest of plantation of new trees; or
(v) In the case of fruit trees, if such trees have become over-mature and rot and deterioration having set in; or
(vi) If such trees are so dense that they affect the fertility of the soil or otherwise cause damage to the soil or standing crops, if there be any.

(2) Before grant of permission under these rules, the applicant shall give an undertaking in writing that he shall plant and stabilise two trees in lieu of the one permitted to be cut. The trees shall be planted at the place indicated in the undertaking and if no such place is indicated therein, at the place directed by the Tehsildar. If it is not possible to plant the new trees on the land from where the trees are removed, without causing damage to the land, standing crops, grass or trees or a building of neighbours, the same shall be planted and stabilised at a place directed by the Tehsildar:

***Provided that** the condition of planting two trees shall not apply if the permission sought under clause (vi) of sub-section (1) and there is no other part of the holding where such trees could be conveniently planted.*

(3) If the permission is refused, reasons of refusal shall be recorded in writing and communicated to the applicant.

8. राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम—1955 के अध्याय—05 के तहत राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 02.05.1981 द्वारा यथा संशोधित नियम 24जी व 24एच के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्येक खातेदार को हरे पेड हटाने हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ऐसे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बाद जाँच नियम 24एच के तहत शर्ते आरोपित करते हुये नियम 24जी 15 पेडों तक पेड हटाये जाने पर तहसीलदार तथा 15 से अधिक पेड हटाये जाने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा एक वर्ष में खातेदारी आराजी पर लगे हुये समसत पेडों का 10 प्रतिशत से कम पेडों को काटने की अनुमति दी जा सकती है।

9. प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट दिनांक 26.06.2025 से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा स्वयं की खातेदारी तथा अन्य खातेदारों की आराजी में से बिना उपर्युक्त विधिक प्रावधानों के तहत निहित प्रक्रिया का उल्लघंन कर बिना अनुमति के हरे वृक्ष हटा दिये। उपर्युक्त विधिक प्रावधानों के तहत निहित प्रक्रिया का उल्लघंन करने पर राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 13:31:37 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम—1955 की धारा—86 के तहत दण्डात्मक प्रावधान बनाये गये है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—86 का उद्धरण प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार है—

> ***86. Penalties for unlawful removal***— *Whoever contravenes all or any of the provisions of section 83 or section 84 or any of the terms, conditions or restrictions of a licence granted thereunder shall be punishable by an Assistant Collector on an application or a report made to him*
> *(a) in the case of a first contravention:*
> *(i) where a tree has been removed, with fine which may extend to one hundred rupees for each tree that has been removed; and*
> *(ii) in other case, with fine which may extend to one hundred rupees; and*
> *(b) in the case of a second or subsequent contravention, with fine which may extend to double the amount of fine that can be imposed under clause (a),* ***and*** *any tree or timber thereof in respect of which such contravention shall have been committed may be forfeited to the State Government.*

10. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—83 सपठित धारा—84 द्वारा हरे वृक्ष हटाने हेतु निहित प्रक्रिया का उल्लघंन कर बिना अनुमति के हरे वृक्ष हटाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—86 के तहत बनाये गये दण्डात्मक प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकार हटाये गये प्रत्येक वृक्ष के लिये प्रथम बार के अपराध में अधिकतम 100 रूपये का जुर्माना तथा द्वितीय बार के अपराध में प्रत्येक वृक्ष के लिये अधिकतम 100 रूपये का जुर्माना तथा इस प्रकार हटाये गये वृक्ष या लकडी को राज्य सरकार के कब्जे राज लेने के प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—83 सपठित धारा—84 द्वारा हरे वृक्ष हटाने हेतु निहित प्रक्रिया का उल्लघंन कर बिना अनुमति के हरे वृक्ष हटाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—86 के तहत बनाये गये दण्डात्मक प्रावधान के आलोक में साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—84 व 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 तहसीलदार गुड़ामालानी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—83 सपठित धारा—84 द्वारा हरे वृक्ष हटाने हेतु निहित प्रक्रिया का उल्लघंन कर बिना अनुमति के हरे वृक्ष हटाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—86 के तहत बनाये गये दण्डात्मक प्रावधान के आलोक में अप्रार्थी द्वारा हटाये गये प्रत्येक वृक्ष के लिये 100 रूपये प्रति वृक्ष का जुर्माना वसूलने तथा जब्त लकडी को

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 13:31:37 IST
Reason: SelfAttested

नीलाम कर राशि को राज्य सरकार के पेटे जमा कराने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 04.05.2026 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 13:31:37 IST
Reason: SelfAttested